

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2002

का.आ. 1114(अं).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 17 अक्टूबर, 1995 की अधिसूचना सं० सां० आ० 844(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने तिरुवरूर लायन्स नेत्र अस्पताल, 59 - दक्षिण तिरुवरूर 610002 द्वारा ग्राम वनडमपलौय, नन्नीलम तालुक, जिला- नागाकायदे मिल्लत तमिलनाडु में तिरुवरूर लायन्स नेत्र अस्पताल के निर्माण, उपस्करों तथा उसकी सांजसज्जा को कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 3 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 29 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 920(अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पांच वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ,

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम

11 उ के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करने के लिए परियोजना लागत को 10.00 लाख रुपए से संशोधित करके 53.75 लाख रुपए करने की सिफारिश की है,

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) तिरुवरुर लायन्स नेत्र अस्पताल, 59 - दक्षिण तिरुवरुर 610002 द्वारा ग्राम वनडपल्लैय, नन्नीलम तालुक, नागाकायदे मिल्लत जिला-तमिलनाडु में तिरुवरुर लायन्स नेत्र अस्पताल के निर्माण, उपस्करों तथा उसकी साजसज्जा कार्यक्रम परियोजना को चलाने की स्कीम अथवा परियोजना को एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले तीन कर निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

(ख) दिनांक 17 अक्टूबर, 1995 की अधिसूचना सं० सां० आ० 844(अ०) में आगे निम्नलिखित रूप से संशोधन किए जाते हैं नामतः

अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 3 के सामने कालम (4) में जो कि धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है ,

अक्षरों, आंकड़ों तथा शब्दों “ 10.00 लाख रु०” के स्थान पर अक्षरों आंकड़ों तथा शब्दों में “ 53.75 लाख रु०” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।